

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 694/2016/जयपुर.
2. अपील संख्या – 695/2016/जयपुर.
3. अपील संख्या – 696/2016/जयपुर.

मैसर्स बेर्स्ट आई.टी. वर्ल्ड (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड,
19-20, चाणक्यपुरी, खासा कोठी सर्किल के पास, जयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-I, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स)-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री सिद्धार्थ रांका, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,	
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 में विक्रय किये गये मोबाईल बैटरी चार्जर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मोबाईल का पार्ट नहीं मानकर मोबाईल की एसेसरी मानते हुए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से करदेयता अवधारित करते हुए पूर्व में चुकाये गये 5 प्रतिशत कर से अन्तर राशि 9 प्रतिशत मय ब्याज के आरोपित करने की पुष्टि की गयी थी।
2. ये सभी अपीलें एक ही अपीलार्थी की होने एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी द्वारा मोबाईल फोन को एक रिटेल सेल पैकेज के रूप में विक्रय किया गया था। वेट अधिनियम की कर अनुसूची-IV के भाग-ए की प्रविष्टि संख्या 12 पर सेलफोन अंकित होने तथा प्रविष्टि संख्या 28 पर इसी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 1 से 27 तक की वस्तुओं के पार्ट्स भी सम्मिलित होने की प्रविष्टि होने से मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट मानते हुए अनुसूची-IV में वर्णित कर दर 5

लगातार.....2

प्रतिशत से कर वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा मोबाईल बैटरी चार्जर को एक कम्पोजिट पैकेज के रूप में विक्रय करने की परिस्थितियों में एवं मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट मानते हुए उस पर अनुसूची-IV के पार्ट-ए के अनुसार कर उद्ग्रहित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसी सन्दर्भ में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इण्डिया प्रा० लि० (सिविल अपील नं० 11486-11487 / 2014 निर्णय दिनांक 17.12.2014) में दिये गये निर्णय में मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट नहीं मानकर इसे मोबाईल फोन की एसेसरी माना गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसरण में राज्य की कर अनुसूची की किसी प्रविष्टि में मोबाईल फोन की एसेसरी का उल्लेख नहीं होने के आधार पर इस पर अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत से कर देय मानते हुए पूर्व में निर्धारित 5 प्रतिशत के अलावा 9 प्रतिशत अन्तर कर, ब्याज एवं इस कृत्य को करापवंचन मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश में आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया परन्तु अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गई जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उक्त समस्त मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये हैं। ये प्रकरण वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 से सम्बन्धित हैं, जिनके कर निर्धारण, नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में किये जा चुके थे एवं उन आदेशों में मोबाईल पैक पर (मोबाईल बैटरी चार्जर सहित) अनुसूची-IV-A के तहत कर का निर्धारण किया गया था। दिनांक 25.11.2014 को प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का सर्वेक्षण किये जाने के बाद ऊपर वर्णित विवाद के तहत मोबाईल बैटरी चार्जर पर कम कर दर निर्धारित होने से वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पुनः कर निर्धारण किये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश के विरुद्ध लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत किये गये हैं, जो निम्नांकित है :—

(1) विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम विवादित कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किया जाना अविधिक एवं अनुचित बताया एवं कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 26(1) में नोटिस जारी किये जाने से पूर्व कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किये हैं एवं न ही अपीलार्थी को कोई कारण बताया गया है अतः उक्त आदेश अपास्तनीय है। कथन के समर्थन में निम्न माननीय न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये :—

लगातार.....3

- (a) मिथ्लेश कुमार त्रिपाठी बनाम आयकर आयुक्त (2006) 280 आई.टी.आर. 16 (इलाहाबाद)
- (b) आयकर आयुक्त बनाम वी.एस.एन.एल. (2012) 340 आई.टी.आर. 66 (बॉम्बे)
- (c) गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम उपायुक्त आयकर विभाग (2008) 15 डी.टी.आर. (गुजरात) 1
- (d) आयकर आयुक्त बनाम ट्रेंड इलेक्ट्रोनिक्स (डी.बी.आई.टी.ए. 1867/2013 दिनांक 16.9.2015—बॉम्बे)

(2) यह कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत कोई भी कार्यवाही मत परिवर्तन (Change of opinion) के आधार पर किया जाना विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों में निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी एवं विभाग का पूर्व से यह मत रहा था कि मोबाईल बैटरी चार्जर एक मोबाईल पार्ट होने से इस पर कर दर मोबाईल पार्ट के रूप में 5 प्रतिशत से प्रभावी है। यह भी कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नोकिया इण्डिया प्रा० लि० के निर्णय के पूर्व इस प्रकरण में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.11.2010 के निर्णय में मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट माना था। इस तरह पूर्व के वर्षों में निरन्तर रूप से विवादित वस्तु मोबाईल बैटरी चार्जर पर मोबाईल के पार्ट्स के रूप में 5 प्रतिशत ही करदेयता मानी थी लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त नोकिया इण्डिया के मामले में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल की एसेसरी मानने के निर्णय के आधार पर जो कर निर्धारण किये गये हैं वे Change of opinion के आधार पर किये जाने से विधिक एवं न्यायिक दृष्टि से अपास्त योग्य है। कथन के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनमें मत परिवर्तन के आधार पर किये गये आदेशों को निरस्त किया गया है :—

- (a) आयकर आयुक्त बनाम केलिवेटर इण्डिया लिमिटेड (2010) 320 आई.टी.आर. 561 (एस.सी.)
- (b) स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश बनाम आर्यवर्त चॉल उद्योग (2015) 53 टैक्समैन डॉट कॉम 66 (एस.सी.)
- (c) बिनानी इण्ड० बनाम सहायक आयुक्त (2007) 15 एस.सी.सी. 435 (एस.सी.)
- (d) उपायुक्त आयकर विभाग बनाम सिम्प्लेक्स कॉर्कीट पाईल्स (2012) 358 आई.टी.आर. 129 (एस.सी.)
- (e) आयकर आयुक्त बनाम ऑस्टिन इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड (एस.एल.पी. 2843/2009) (एस.सी.)

लगातार.....4

- (f) राजकुमार बाफना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2002) 125 टैक्समैन 532 (राज.)
- (g) आयकर आयुक्त बनाम बेयर शूज (इण्डिया) प्रा० लि० (2011) 331 आई.टी.आर. 435 (मद्रास)
- (h) बी.जे. सर्विसेज कम्पनी मिडिल ईस्ट लिमिटेड बनाम उप—निदेशक आयकर (इन्टरनेशनल टैक्सेशन) (2011) 339 आई.टी.आर. 169 (उत्तरांचल)
- (i) आयुक्त सेल्स टैक्स बनाम फिल्टड कं० (2005) 5 एस.टी.जे. 528 (मध्यप्रदेश)
- (j) सेसा गोआ लिमि. बनाम संयुक्त आयुक्त आयकर (2007) आई.टी.आर. 101 (बॉम्बे)
- (k) रंजीत प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० बनाम उपायुक्त आयकर विभाग (2015) 372 आई.टी.आर. 529 (गुजरात)
- (l) ब्रेक्स इण्डिया लिमिटेड व अन्य बनाम कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, मद्रास व अन्य 1987 (31) ई.एल.टी. 1030 (कर्नाटक)

(3) विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत माननीय न्यायिक निर्णयों के पश्चात् उसका प्रभाव देने के लिये नवीन निर्णय पारित किये जाने की शक्तियां प्रदान की गयी हों। इस सम्बन्ध में यह कथन किया कि उड़ीसा वैट अधिनियम की धारा 49(1) में ऐसे मामलों में विशिष्ठ शक्तियां प्रदान की गयी हैं जिसमें माननीय न्यायालयों के निर्णयों के प्रभाव देने के लिये नये निर्णय पारित किये जा सकते हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(1)(ई) में भी ऐसी शक्तियां होने का कथन किया। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के वर्ष 2010—11, 2011—12 एवं 2012—13 के वर्षों के पूर्व में धारा 24 के किये गये कर निर्धारणों को पुनः खोलकर दिनांक 06.11.2012 को नये आदेश पारित किये गये थे परन्तु उस समय भी मोबाईल बैटरी चार्जर की कर दर पर कोई विवाद नहीं किया गया था इस तरह एक ही कर निर्धारण आदेश का बार—बार पुनर्निर्धारण किया जाना विधिविरुद्ध बताया। इस सन्दर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय वोडाफोन साउथ इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (रिट पिटिशन संख्या 1841 / 2013 निर्णय दिनांक 11.03.2014) का दृष्टान्त पेश किया जिसमें बार—बार किये गये कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया गया था।

(4) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 26 में दिनांक 14.7.2014 को संशोधन कर Explanation को भी हटा दिया गया था —

"Explanation - the assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act."

लगातार.....5

उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इस स्पष्टीकरण को हटाने का तात्पर्य यह है कि कर निर्धारण अधिकारी को पूर्व में जो शक्तियां पुनः कर निर्धारण के लिये दी हुई थी वे हटा दी गयी थी अतः कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.4.2015 को दिया गया नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अपार्ट योग्य था।

(5) विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में मोबाईल बैटरी चार्जर का विक्रय मूल्य प्रति चार्जर रूपये 110/- निर्धारित करना गलत बताते हुए कथन किया कि रूपये 110/- के मूल्य से यह रिटेल मार्केट में विक्रय किये जाते हैं जबकि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अलग से कोई चार्जर विक्रय नहीं किया गया था, बल्कि वह एक कम्पोजिट बॉक्स में मोबाईल फोन के साथ होने से एवं अलग से कोई विक्रय मूल्य वसूल नहीं की जाने से उसकी कीमत रिटेल बाजार मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत कम होती है। किये गये एकपक्षीय मूल्यांकन को अविधिक बताते हुए इस आधार पर भी आदेश अपार्ट किये जाने का अनुरोध किया।

(6) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोकिया इण्डिया के निर्णय के आधार पर आदेश पारित किया गया है जबकि वह निर्णय इस अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है क्योंकि नोकिया के प्रकरण में व्यवहारी ने अपने मोबाईल बैटरी चार्जर को ख्याल ने एसेसरी बताया था जबकि उक्त अपीलार्थी ने किसी भी समय मोबाईल बैटरी चार्जर को एसेसरी नहीं बताकर निरन्तर इसे मोबाईल का पार्ट बताया है तथा कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किये गये कम्पोजिट बॉक्स में बैटरी चार्जर मोबाईल का अभिन्न भाग होने एवं चार्जर के बिना मोबाईल फोन किसी भी तरह कार्यशील नहीं होने से इसे एसेसरी माना जाना अनुचित है अतः उनके प्रकरण में मोबाईल बैटरी चार्जर को पार्ट मानते हुए पूर्व में किये गये कर निर्धारण आदेशों को विधिसम्मत बताया। विद्वान अभिभाषक ने अपने लिखित कथन में मोबाईल बैटरी चार्जर के उपयोग एवं कार्य को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है।

(7) विद्वान अभिभाषक ने बहस के अन्त में यह कथन किया कि जब किसी एक वस्तु के बारे में दो मत प्रस्तुत होते हैं तो ऐसी स्थिति में कर दर के मामलों में करदाता के पक्ष का मत लागू किया जाना न्यायिक होगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज (1997) 10 एस.सी.सी. 335 (एस.सी.) के निर्णय का हवाला दिया।

लगातार.....6

(8) प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में अन्तर कर पर आरोपित किये गये 'ब्याज' का विरोध करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कार्यपालक इंजीनियर सी.पी.डब्ल्यू.डी. (2011) 42 वी.एस.टी. 150 (राज.) में यह अवधारित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में यदि कोई विशिष्ट दिनांक अंकित नहीं की जाती है तो उनके द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्तों को पूर्ववर्ती तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किये गये करारोपण में ब्याज आरोपित किया जाना अनुचित बताया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम रस्टोगी स्टील फर्नीचर (2003) 6 टैक्स अपडेट 317 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त 10 टैक्स अपडेट 124 का हवाला देते हुए कथन किया कि ब्याज का निर्धारण कर निर्धारित होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(9) विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इण्डिया प्रा० लि० के (2014) 16 एस.सी.सी. 410 के निर्णय के आधार पर करारोपण किये जाने सम्बन्धी आदेश को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में अविधिक बताया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनः कर निर्धारण पारित किया जाना अविधिक बताया।

उक्त कथनों एवं तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत लिखित कथन, तर्कों एवं माननीय न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का दिनांक 25.11.2014 को सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत कम्पोजिट सेट में मोबाइल बैटरी चार्जर भी सम्मिलित था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.4.2015 को माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लि०

लगातार.....7

के निर्णय के आधार पर मोबाईल बैटरी चार्जर को एसेसरी मानते हुए एवं वेट अनुसूची-I, II, III, IV & VI की किसी भी प्रविष्टि में मोबाईल बैटरी चार्जर अंकित नहीं होने से एवं इसे मोबाईल एसेसरी माने जाने से अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत से कर दायित्व निर्धारण करने का प्रस्ताव किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-12 में सेलफोन को अंकित किया हुआ है एवं इसी पार्ट की प्रविष्टि संख्या 28 में इस पार्ट की प्रविष्टि संख्या 1 से 27 में अंकित वस्तुओं के 'पार्ट्स' को भी सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के कर निर्धारण आदेशों में मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट मानकर इस पर 5 प्रतिशत की कर दर का निर्धारण किया गया था परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जब यह निर्णय किया गया कि मोबाईल बैटरी चार्जर मोबाईल का पार्ट नहीं होकर उसकी एसेसरी है तब कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांच की जाकर मोबाईल बैटरी चार्जर पर अनुसूची-V के अनुसार कर दर 14 प्रतिशत निर्धारित कर कर आरोपित किया गया है इस तरह पूर्व में निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर राशि 9 प्रतिशत कर एवं वह राशि राजकोष में जमा नहीं होने से उस पर ब्याज का आरोपण भी किया गया।

8. इस प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा साफ तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित विधि अनुसार मोबाईल बैटरी चार्जर पर एसेसरी के रूप में कर आरोपण करने की कार्यवाही की गयी है। इसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने पुनः कर निर्धारण करने के मामले में जो तर्क दिये हैं उस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या कर निर्धारण अधिकारी को वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की शक्तियां प्राप्त थी एवं क्या विवादित कर निर्धारण आदेश "मत परिवर्तन" के आधार पर किया जाना माना जाना चाहिये या नहीं एवं क्या अपीलार्थी के मोबाईल बैटरी चार्जर नोकिया के मोबाईल चार्जर से भिन्न वस्तु है अथवा नहीं तथा कर निर्धारण में चार्जर की विक्रय मूल्य राशि का एकपक्षीय मूल्यांकन किया जाना उचित है अथवा नहीं एवं क्या अन्तर कर राशि पर ब्याज आरोपणीय है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 26 को उद्धरित किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है :—

B
→

लगातार.....8

26. Escaped assessment.-

(1) An assessment –

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be **deemed to** be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall **on the basis of the material on record** or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

- (2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.
- (3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.
- (4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

10. उक्त धारा 26(1)(बी) व (सी) के अनुसार For any reason levy of tax escaped or in any way or under any circumstances कर बच जाने पर पुनः कर निर्धारण किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने 14.7.2014 के पूर्व दिये गये स्पष्टीकरण पर जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वे वास्तव में ये प्रमाणित करते हैं कि दिनांक 14.7.2014 के पूर्व उस बिजनिस के पार्ट को पुनः कर निर्धारण नहीं किया जा सकता था जो पूर्व में निर्धारित किया जा चुका था इस तरह उस स्पष्टीकरण के जरिये पूर्व निर्धारित बिजनिस पर पुनः कर निर्धारण करने पर रोक थी परन्तु 14.7.2014 से इस स्पष्टीकरण को विलोपित करने के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित बिजनिस पर भी पुनः कर निर्धारण किये जाने से रोक हटा दी गयी है। इस धारा में पुनः कर निर्धारण के मामलों में केवल समयावधि की पाबन्दी है जो उप-धारा (3) में प्रदान की गयी है जिसमें किसी कर निर्धारण आदेश को सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष

लगातार.....9

के भीतर नोटिस जारी करने एवं 8 वर्षों की समयावधि में पुनः कर निर्धारण के प्रावधान किये गय हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश बेट अधिनियम में माननीय न्यायिक निर्णयों के प्रभाव देने हेतु अधिनियम में प्रावधान होना बताया, उस सम्बन्ध में यह पाया गया कि राजस्थान राज्य के बेट अधिनियम की धारा 26 में for any reason व in any way का उपयोग कर कर निर्धारण अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों की पालना में पुनः कर निर्धारण किये जाने के अधिकार दिये हुए हैं।

11. विद्वान अभिभाषक ने ऊपर वर्णित अपने कथनों में विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए मत परिवर्तन के आधार पर कर निर्धारण नहीं किये जाने का जो तर्क दिया गया है उसपर विचार किया गया। इन अपीलाधीन प्रकरणों में वास्तव में 'मत परिवर्तन' का मामला न होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी वस्तु की प्रकृति एवं वर्गीकरण का निर्णय किये जाने के आधार पर पुनः कर निर्धारण किये गये हैं जो अविधिक नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी बिन्दु पर निर्णय दिये जाने पर वह विधि पूरे देश में लागू करना संवेधानिक बाध्यता है। जहां तक विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है, उनके अध्ययन पर पाया गया कि उनमें अलग-अलग तथ्यों के आधार पर एवं अधिकतर में समय सीमा को लेकर पुनः कर निर्धारण किया जाना अनुचित माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ऊपर वर्णित निर्णय (नोकिया इण्डिया प्रा० लि०) सीधे तौर पर इस प्रकरण में लागू होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विहित कर दर से पुनः कर निर्धारण करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। फलतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी के तर्क अस्वीकार किये जाते हैं।

12. कर निर्धारण आदेश में मोबाईल बैटरी चार्जर का मूल्य प्रति चार्जर रूपये 110/- अवधारित किये जाने पर जो आपत्ति की गयी है उस पर विचार किया गया। चार्जर के मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में कर निर्धारण आदेश में कोई आधार नहीं दिया गया है एवं न ही कोई सुनवाई की गई है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त सभी तीनों वर्षों में रूपये 110/- प्रति चार्जर का जो मूल्य बताया है वह सामान्य रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है कि तीनों वर्षों में सभी तरह के चार्जर पर एक ही विक्रय मूल्य निर्धारण किया जावे। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर चार्जर के विक्रय मूल्य का पुनः निर्धारण कर उस अनुसार करारोपण करें।

लगातार.....10

13. जहां तक ब्याज आरोपण का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के (2011) 31 टैक्स अपडेट 303 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा बनाम ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज एवं नरीन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी बनाम राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल (2002) 125 एस.टी.सी. 29 में यह स्पष्ट किया गया है कि कर के साथ में ब्याज ऑटोमेटिक है अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज के आदेश की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है परन्तु मोबाईल बैटरी चार्जर के विक्रय मूल्य के निर्धारण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् मोबाईल बैटरी चार्जर का वास्तविक व तर्कसंगत मूल्य निर्धारित करते हुए उस पर देय अन्तर कर व ब्याज का पुनः निर्धारण करें।

15. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)

सदस्य

(मदन लाल)

सदस्य